



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07112022-240091
CG-MH-E-07112022-240091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4946]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4946]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5165(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिला में "वर्धा – नांदेड via यवतमाल नई रेलवे लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी कारंजा, तालुका मनोरा, जिला वाशिम महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों की अनुमति दें या अस्वीकार करें।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में विशेष रेल परियोजना “वर्धा – नांदेड via यवतमाल नई रेलवे लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. / चौ.मी.)
1	08/47/ 2021-22	सावली	मानोरा	मनोहर वसंतराव राठोड एवं अन्य	40	1	8.40 हे. आर.	0.03 हे. आर.
2	08/47/ 2021-22	सावली	मानोरा	बादल फत्तेसिंग राठोड एवं अन्य	41	1	3.01 हे. आर.	0.14 हे. आर.
3	08/47/ 2021-22	सावली	मानोरा	मनोहर वसंतराव राठोड एवं अन्य	89	1	3.40 हे.आर.	0.07 हे.आर.
						कुल	14.81 हे. आर.	0.24 हे. आर.
1	07/47/2021- 22	गादेगाव	मानोरा	वैभव राजेंद्र वाकोडे	289	1	4.18 हे. आर.	0.05 हे. आर.
						कुल	4.18 हे. आर.	0.05 हे. आर.
						कुल योग	18.99 हे. आर.	0.29 हे. आर.

[फा. सं. AQ/WR-NED/SPL/2022/अक्तूबर/वाशिम/20A]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5165(E).— In exercise of the powers conferred of **Section 20A** of the Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed here to, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Wardha - Nanded via Yavatmal New BG Railway Line**” in the district of **Washim** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Each such objection shall in writing to the competent authority i.e. the competent authority shall be determined by the **Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer Karanja**, Taluka Manora, District, Washim Maharashtra and the grounds within it and the competent authority shall give the objector the opportunity of being

heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “**Wardha - Nanded via Yavatmal New BG Railway Line**” in the district **Washim** in the State of Maharashtra is as under:

S.No.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R/Sq.m.)	Acquisition area (H.R./Sq.m.)
1	08/47/2021-22	Sawali	Manora	Manohar Vasantrao Rathod & Other	40	1	8.40 H.R	0.03 H.R
2	08/47/2021-22	Sawali	Manora	Badal Fattesingh Rathod & Other	41	1	3.01 H.R	0.14 H.R
3	08/47/2021-22	Sawali	Manora	Manohar Vasantrao Rathod & Other	89	1	3.40 H.R	0.07 H.R
						Total	14.81 H.R	0.24 H.R
1	07/47/2021-22	Gadegaon	Manora	Vaibhav Rajendra Wakode & Other	289	1	4.18 H.R	0.05 H.R
						Total	4.18 H.R	0.05 H.R
Grand Total							18.99 H.R	0.29 H.R

[F. No. AQ/WR-NED/SPL/2022/October/Washim/20A]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)